ई–मेल / महत्वपूर्ण

प्रेषक,

महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
जनपद नोडल अधिकारी,
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उ0प्र0।

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021–22/8892 लखनऊ/दिनांक–05/05/2021

विषयः–माह–मई, 2021 को "विश्व तम्बाकू निषेध दिवस" के उपलक्ष्य में 20 मई, 2021 से 15 जून, 2021 तक कैम्पेन/ अभियान चलाये जाने विषयक।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि प्रत्येक वर्ष 31 मई, को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस हेतु प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) द्वारा एक थीम प्रदत्त किया जाता है। उ0प्र0 में इस वर्ष दिनांक–31 मई, 2021 को, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रदत्त थीम **"Commit to quit today and sign the pledge"** पर विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कैम्पेन के रूप में दिनांक 20 मई, 2021 से 15 जून, 2021 तक मनाया जाना है।

आपको अवगत कराना है कि इस वर्ष विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर तम्बाकू छोड़ने एवं तम्बाकू छोड़ने हेतु शपथ लिए जाने पर बल दिया गया है, इस क्रम में आपसे अपेक्षित है कि आप जनपद में स्थापित तम्बाकू उन्मूलन केन्द्रों, एन0सी0डी0 क्लीनिक, मनकक्ष, टी0बी0 क्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक एवं अन्य प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों पर कार्यरत काउन्सलर/सॉइकोलॉजिस्ट के माध्यम से व्यक्तियों की काउन्सलिंग करते हुए तम्बाकू छोड़ने एवं भारत सरकार द्वारा प्रदत्त क्विट लाइन नम्बर–1800112356 का उपयोग करने के लिए प्रेरित तथा तम्बाकू उपभोग न करने हेतु शपथ भी दिलाये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

जैसा कि आप अवगत है कि प्रदेश में फैली कोरोना महामारी के दृष्टिगत सरकारी प्रतिष्ठानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एवं थूकने हेतु प्रतिबन्धित किया जा चुका है, जिस सम्बन्ध में आपको पूर्व में पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप कोरोना महामारी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन करते हुए उक्त कैम्पेन में प्रचार–प्रसार, वेबिनार, ऑडियो एवं वीडियो क्लिप, जिंगल इत्यादि का आयोजन के अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एवं थूकने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, तथा कृत कार्यवाहियों से महानिदेशालय को 10 कार्यदिवसों के अन्दर फोटों, न्यूज पेपर कटिंग एवं रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त कैम्पेन को प्रभावी बनाने हेतु किसी भी जिज्ञासा एवं प्रसार–प्रसार सम्बन्धी जानकारी भारत सरकार की वेबसाइट–ntcp.nhp.gov.in पर प्राप्त किया जा सकता है

भवदीय

निदेशक (स्वास्थ्य)

पत्रांकः– राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021–22/ तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3. निदेशक, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, भारत सरकार, नई–दिल्ली।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, एण्टी टोबैको सेल, उत्तर प्रदेश।

निदेशक (स्वास्थ्य)

ई–मेल / महत्वपूर्ण

प्रेषक,

महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी /
जनपद नोडल अधिकारी,
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उ0प्र0।

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2021–22 / लखनऊ / दिनांक– / 05 / 2021

विषयः–माह–मई, 2021 को ''विश्व तम्बाकू निषेध दिवस'' के उपलक्ष्य में 20 मई, 2021 से 15 जून, 2021 तक कैम्पेन/ अभियान चलाये जाने विषयक।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि प्रत्येक वर्ष 31 मई, को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस हेतु प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) द्वारा एक थीम प्रदत्त किया जाता है। उ0प्र0 में इस वर्ष दिनांक–31 मई, 2021 को, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रदत्त थीम **"Commit to quit today and sign the pledge"** पर विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कैम्पेन के रूप में दिनांक 20 मई, 2021 से 15 जून, 2021 तक मनाया जाना है।

आपको अवगत कराना है कि इस वर्ष विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर तम्बाकू छोड़ने एवं तम्बाकू छोड़ने हेतु शपथ लिए जाने पर बल दिया गया है, इस क्रम में आपसे अपेक्षित है कि आप जनपद में स्थापित तम्बाकू उन्मूलन केन्द्रों, एन0सी0डी0 क्लीनिक, मनकक्ष, टी0बी0 क्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक एवं अन्य प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों पर कार्यरत काउन्सलर / सॉइकोलॉजिस्ट के माध्यम से व्यक्तियों की काउन्सलिंग करते हुए तम्बाकू छोड़ने एवं भारत सरकार द्वारा प्रदत्त क्विट लाइन नम्बर–1800112356 का उपयोग करने के लिए प्रेरित तथा तम्बाकू उपभोग न करने हेतु शपथ भी दिलाये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

जैसा कि आप अवगत है कि प्रदेश में फैली कोरोना महामारी के दृष्टिगत सरकारी प्रतिष्ठानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एवं थूकने हेतु प्रतिबन्धित किया जा चुका है, जिस सम्बन्ध में आपको पूर्व में पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप कोरोना महामारी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन करते हुए उक्त कैम्पेन में प्रचार–प्रसार, वेबिनार, ऑडियो एवं वीडियो क्लिप, जिंगल इत्यादि का आयोजन के अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एवं थूकने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, तथा कृत कार्यवाहियों से महानिदेशालय को 10 कार्यदिवसों के अन्दर फोटों, न्यूज पेपर कटिंग एवं रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त कैम्पेन को प्रभावी बनाने हेतु किसी भी जिज्ञासा एवं प्रसार–प्रसार सम्बन्धी जानकारी भारत सरकार की वेबसाइट–ntcp.nhp.gov.in पर प्राप्त किया जा सकता है

भवदीय

निदेशक (स्वास्थ्य)

पत्रांकः– राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2021–22 / 0893-97 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3. निदेशक, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, भारत सरकार, नई–दिल्ली।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, एण्टी टोबैको सेल, उत्तर प्रदेश।

निदेशक (स्वास्थ्य)